झारखण्ड विधान सभा

ध्यानाकर्षण सूचना

चतुर्थ झारखण्ड विधान–सभा

षोडश (मानसून) सत्र

निम्नलिखित ध्यानाकर्षण– सूचनायें झारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य–संचालन के नियम– 147 के अन्तर्गत दिनांक– 26.07.2019 के लिए माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा स्वीकृत की गयी हैं :–

क्र0सं0	सदस्य का नाम	विषय	विभाग
01.	02.	03.	04.
01–	श्री अनन्त कुमार ओझा स0वि0स0	"साहेबगंज जिला के राजमहल अनुमण्डल अन्तर्गत गंगा नदी प्रवाहित है, जो कि स्थानीय, संथाल परगना प्रमण्डल सहित राज्य के पूर्वोत्तर का आर्थिक प्रवेश द्वार बनने की ओर अग्रसर है। यह क्षेत्र सामरिक व व्यावसायिक दृष्ट्रिकोण से भी महत्त्वपूर्ण है। इसी परिप्रेक्ष्य में राजमहल (साहेबगंज, झारखण्ड) से मानिकचक (प0 पंगाल) तक व्यापारिक, सामाजिक एवं अन्यान्य कार्य हेतु जलमार्ग द्वारा आवागमन करते हैं। स्थानीय तथा संथाल परगना प्रमण्डल के आमजन राजमहल– मानिकचक (प0 बंगाल) गंगा पुल की निर्माण की माँग वर्षो से करते रहे है। अतः जनहित में राजमहल विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत राजमहल (झारखण्ड)– मानिकचक (प0 बंगाल) तक गंगा नदी पर पुल की निर्माण हेतु समुचित अग्रेत्तर व्यवस्था की जाय, जिस हेतु मैं सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करता हूँ।	पथ निर्माण

01.	02.	03.	04.
02-	श्री निर्भय कुमार शाहाबादी स0वि0स0	उल्लेखनीय है कि लघु सिंचाई प्रमण्डल, गिरिडीह द्वारा निकाली गई निविदा संख्या-06/2018-19 के आलोक में कहना है कि उक्त निविदा कार्य योजना अन्तर्गत गंजवापेसरा नदी पर श्रंखलाबद्ध चेक डेम निर्माण से सम्बंधित BOQ आईटम वाईज निकाली गई थी जिसमें 03 (तीन) निविदादाताओं ने निविदा डाली जिसके पश्चात् वरीयता क्रम में एल0 01, एल0 02 एवं एल0 03 निर्धारित वरीयता तय की गई जिसमें एल0 01 एवं एल0 02 द्वारा BOQ में निर्धारित दर से 10% कम दर पर निविदा डाला गया और एल0-03 (मेसर्स ब्रजेश कु0कु0प्रा0लि0) द्वारा निविदि नियमावली का उल्लंघन कर 10% से भी कम दर अंकित कर निविदा डाले जाने के साथ-साथ उक्त निविदादाता ने अपने द्वारा समर्पित SBD फार्म के विस्तृत विवरणी में लायबिलिटी अंकित नहीं किया गया जबकि उक्त निविदादाता को उक्त जिला में ही पूर्व में निविदा आवंटित कार्य की समय सीमा समाप्त होने तक मात्र 20 से 25% कार्य योजना का निष्पादन किया गया है जो जाँच का विषय है। इसके बावजूद मुख्य अभियन्ता, लघु सिंचाई प्रमण्डल, दुमका द्वारा अपने पद का दुरूपयोग कर निविदा नियमावली का उल्लंघन कर अपने चहेते निविदादाता मेसर्स ब्रजेश कु0कु0प्रा0लि0 को निजी स्वार्थ में नियम विरूद्ध कार्य आवंटन कर दी गई। इतना ही नहीं उक्त अभियन्ता ने दुमका प्रमण्डल अन्तर्गत कई जिलों में अबतक अनेकों निविदाओं में नियमों की अवहेलना कर मनमानी तरीके से अपने चहेते निविदादाताओं को कार्य आवंटन किया है जो गंभीर जाँच का विषय है। अतः सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान उक्त गंभीर मामले की ओर ध्यान आकृष्ट कराना चाहूँगा।	जल संसाधन

01.	02.	03.	04.
03-	श्री जानकी प्रसाद यादव स0वि0स0 प्रो0 जयप्रकाश वर्मा स0वि0स0	हजारीबाग जिलान्तर्गत टाटीझरिया प्रखण्ड में उत्क्रमित +2 उच्च विद्यालय, झरपो के नये भवन को निर्माण कार्य सात-आठ वर्षो से बंद पड़ा है। संवेदक एवं सम्बन्धित अभियंताओं की लापरवाही तथा अकर्मण्यता के कारण आज तक वह अधूरा पड़ा है जो जीर्णावस्था में भी पहुँच चुका है और यह कभी भी धाराशायी हो सकता है। विद्यालय भवन के अभाव में हजारों गरीब बच्चे शिक्षा से वंचित हो रहे है। अतः सरकारी धन का दुरुपयोग कर गरीब बच्चों को शिक्षा से वंचित करने वाले दोषी संवेदक तथा अभियंताओं के विरुद्ध अविलम्ब कार्रवाई करते हुए उक्त विद्यालय भवन का निर्माण कार्य इसी वित्तीय वर्ष में किये जाने हेतु सरकार का ध्यान आकृष्ट करते है।	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता
04-	श्रीमती सीता सोरेन स0वि0स0 श्रीमती बबीता देवी स0वि0स0 श्री कुणाल षड़ंगी स0वि0स0	साहेबगंज जिला अन्तर्गत प्रखंड बरहेट के भोगनाडीह में टीचर ट्रेनिंग कॉलेज बन कर तैयार है। परन्तु अबतक सत्र की पढ़ाई नहीं हो पा रही है। यहाँ क्षेत्रों के विद्यार्थियों को टीचर ट्रेनिंग करने के लिए साहेबगंज या दूसरे जिलों में जाना पड़ता है। अधिक दूरी हो जाने के कारण विद्यार्थियों को बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अतः सदन के माध्यम से लोकहित में साहेबगंज जिला के बरहेट प्रखंड अन्तर्गत भोगनाडीह में टीचर ट्रेनिंग कॉलेज जो बन कर तैयार है इसे चालू वित्तीय वर्ष में जल्द से जल्द चालू करने हेतु सरकार का ध्यानाकृष्ट करते है।	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता
05-	श्री शिवशंकर उराँव स0वि0स0	झारखण्ड अधिविद्य परिषद् (जैक) के चार दैनिक कर्मी कर्मचारी क्रमशः 1- श्रीमती रेखा कुमारी, 2- शशिभूषण दास, 3- रफीक अन्सारी, और 4- राजेन्द्र प्रसाद महतो वर्ष 2006 ई0 से कार्यरत थे। जिन्हें जैक ने 2009 ई0 में नौकरी से निकाल दिया है। इनपर मिथ्या आरोप यह	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता

कृ0पृ030

लगाया गया कि ये दैनिक कर्मी सेवा शर्त्त के अनुसार लगातार तीन दिनों तक बिना अवकाश लिए अथवा आवेदन दिए हुए अपने कार्य से अनुपस्थित थे। इसलिए उन्हें सेवा मुक्त कर दिया गया। लेकिन सच्चाई यह है कि उक्त सभी कर्मियों ने अवकाश के लिए आवेदन दिया था अथवा उनका अवकाश स्वीकृत हुआ था। क्योंकि चारो दैनिक कर्मियों के पास इसके स्पष्ट साक्ष्य मौजूद है।

उल्लेखनीय यह है कि इन्हें न्याय दिलाने के लिए इसी सदन में माननीय विधायक भानु प्रताप शाही जी ने विषय को सदन पटल पर मार्च, 2015 ई0 में रखा था। जिसपर माननीय आसन ने विभागीय मंत्री को नियमन दिया था और मंत्री जी ने भी सदन को आश्वस्त किया था कि त्वरित कार्रवाई करते हुए प्रार्थियों को नौकरी पर पुनः बहाल किया जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसलिए भुक्तभोगियों ने विधान सभा की याचिका समिति के समक्ष न्याय हेतु याचिका संख्या-29/16 के तहत् याचना की। याचिका समिति ने इस विषय को गंभीरता से लिया और इस विषय पर चार बार विमर्श किया। जैक एवं कार्मिक विभाग के सम्बंधित अधिकारियों को भी तलब किया गया। दोनों पक्षों की बातों को गंभीरता पूर्वक सुनने के पश्चात् निष्कर्षतः समिति ने भी पाया कि जैक द्वारा इनके साथ अन्यायपूर्ण कार्रवाई की गई है। इसलिए जैक इन चारो लोगों को पुनः नौकरी पर बहाल करे। लेकिन जैक द्वारा इन भुक्तभोगियों को न्याय देने के लिए अर्थात नौकरी पर पुनः नियुक्त करने सम्बंधी अबतक कोई कदम नहीं उठाया गया। स्पष्ट है जैक ने आसन, सदन सरकार और विधान सभा की याचिका समिति के निर्देशों की अवहेलना की है।

		मैं सदन के माध्यम से सरकार का ध्यानाकृष्ट करता हूँ कि इन चारो दैनिक कर्मियों की पुनर्बहाली हेतु स्पष्ट निर्देश जारी कर सार्थक कदम उठाया जाए। ताकि विगत लगभग दस वर्षो से न्याय के लिए संघर्ष कर रहे जैक के इन दैनिक कर्मियों को न्याय मिल सके।	

राँची,
दिनांक- 26 जुलाई, 2019 ई0।

महेन्द्र प्रसाद,
सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

ज्ञाप सं0-ध्या0 एवं अना0प्र0-11/2019-1707/वि0 स0, राँची, दिनांक-25/7/19

प्रतिः- झारखण्ड विधान सभा के मा0सदस्यगण/ मा0मुख्यमंत्री/ अन्य मंत्रिगण/ मुख्य सचिव, झारखण्ड सरकार, राँची/ माननीया राज्यपाल के प्रधान सचिव/ लोकायुक्त के आप्त सचिव/ महाधिवक्ता, उच्च न्यायालय राँची/पथ निर्माण विभाग/जल संसाधन विभाग एवं स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

25/7/19

(एस0 शिराज वजीह बंटी)
उप सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

ज्ञाप सं0-ध्या0 एवं अना0प्र0-11/2019-1707/वि0 स0, राँची, दिनांक-25/7/19

प्रतिः- संयुक्त सचिव, अध्यक्षीय कार्यालय एवं आप्त सचिव, सचिवीय कार्यालय को क्रमशः मा0 अध्यक्ष महोदय एवं सचिव महोदय के सूचनार्थ प्रेषित।

25/7/19

उप सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

सुभाष/-

25.07.19